SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का समग्र अध्ययन

देव कुमार ओझा, शोधार्थी, **राजपाल सिंह,** पी–एचडी, विधि विभाग
मेजर एस. डी. सिंह विश्वविद्यालय, फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
देव कुमार ओझा
राजपाल सिंह, पी–एचडी
E-mail : devkumarojha@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 02/10/2025
Revised on : 04/12/2025
Accepted on : 13/12/2025
Overall Similarity : 04% on 05/12/2025

शोध सार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारतीय समाज के ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक वंचित वर्ग हैं, जिन्हें सदियों तक अस्पृश्यता, शोषण, गरीबी और सामाजिक.आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जाति व्यवस्था के 'शुद्धता–अशुद्धता' आधारित ढांचे ने इन्हें सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा, भूमि, सम्मान, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सभी क्षेत्रों में गहरी संरचनात्मक विषमता पैदा हुई। स्वतंत्रता के बाद संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया, भेदभाव को विधि विरूद्ध घोषित किया। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों को दंडनीय अपराध बनाकर पीड़ितों को प्रतिकर, पुनर्वास, विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक, गवाह सुरक्षा और त्वरित न्याय की व्यवस्था की गयी। संविधान के अनुच्छेद 330, 332, 335, 338, 339, 342, 17, 23, 25(2)(ख), 15(4), 16(4), 29(2), 46, 244 और 275 आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक आरक्षण, सेवाओं में प्रतिनिधित्व, शैक्षिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक संरक्षण की रूपरेखा बनाई गई है।

मुख्य शब्द

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अस्पृश्यता, प्रतिकर, पुनर्वास.

परिचय

ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज के सबसे वंचित वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उन जातियों या समुदायों की एक श्रेणी का गठन करती है जो जाति व्यवस्था के भीतर मौजूद थे लेकिन सबसे कम सामाजिक सरोकारिता के साथ थे। भारतीय समाज में इस ऐतिहासिक नुकसान ने उन्हें विकास के मामले में मुख्यधारा की जातियों और अन्य समूहों से बहुत पीछे कर दिया। स्वतंत्रता–पूर्व भारत में ब्रिटिश सरकार ने उत्थान के विशेष उपायों के लिए इनमें से कुछ जातियों और जनजातियों की पहचान की थी, लेकिन यह भारत का संविधान है जिसने धर्म, जाति, लिंग, पंथ या नस्ल के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया और विभिन्न सुरक्षा उपाय उनके संरक्षण और उत्थान के लिए प्रदान किये। 'अनुसूचित जाति' शब्द कई जाति समूहों को संदर्भित करता है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्थान पर कब्जा कर लिया है जो भारतीय समाज की विशेषता है। सदियों से, वह अस्पृश्यता के बर्बर उपचार के अधीन होने के कारण, दयनीय दुख और गरीबी में रहते थे– जाति व्यवस्था की सबसे क्रूर विशेषताओं में से एक, जिसे कई लोग दुनिया में नस्लवाद के सबसे मजबूत रूप के रूप में देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं के लिए अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना एक गंभीर मानवीय चिंता का विषय बन गया। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता है। यह 'शुद्धता–अशुद्धता' की अवधारणा के आधार पर समाज के एक पदानुक्रमित विभाजन को संदर्भित करता है। इसे धार्मिक प्रतिबंधों और विचारधारा के माध्यम से वैध बनाया गया है। वास्तव में, यह सामाजिक जातियों के बीच श्रेणीबद्ध असमानता की एक प्रणाली है, जिसके सदस्यों को उनके जन्म के साथ–साथ उच्च या निम्न स्थिति प्राप्त होती है। एक जाति इस व्यवस्था का मूल घटक है। प्राचीन भारत में समाज को शुरू में चार वर्णों या वर्गों में विभाजित किया गया था– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बाद में, यह वर्ण–विभाजन जन्म पर आधारित एक पदानुक्रमित संरचना में परिवर्तित हो गया। पुजारी और ज्ञान–प्राप्ति में लगे ब्राह्मणों ने पदानुक्रम में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। उनके आगे 'क्षत्रिय' थे, जिन्होंने समाज पर शासन किया और आक्रमणकारियों से इसकी रक्षा की। तीसरा पद 'वैश्य' का था जिसने समाज के लिए खाद्य उत्पादन, व्यापार और धन की जिम्मेदारी ली। 'शूद्रों' का स्थान निम्नतम था। उनमें से अधिकांश खेतिहर मजदूर या गुलाम थे। इनमें कारीगर, शिल्पकार, कलाकार, नर्तक और संगीतकार भी शामिल थे। समय के साथ, इस वर्ण पदानुक्रम की गतिशीलता ने कई जातियों का निर्माण किया जो हजारों जातियों के पदानुक्रम में परिणत हुई। यद्यपि 'जाति', 'वर्ण' नहीं, लंबे समय से भारतीय समाज की एक वास्तविकता रही है। कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति के लिए विभिन्न नस्लों या जनजातियों के अस्तित्व को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्हें बाद में विभिन्न जातियों के रूप में जाना जाने लगा। यह माना जाता है कि भारत में सामाजिक पदानुक्रम नस्लीय शुद्धता की धारणा पर आधारित था। कालान्तर में यह धारणा अनुष्ठान शुद्धता में बदल गई और धार्मिक स्वीकृति के माध्यम से और अधिक मजबूत हुई। दूसरी ओर, कई विद्वानों का मत है कि समाज की भौतिक आवश्यकताओं के कारण श्रम का विभाजन हुआ जो बाद में वंशानुगत व्यवसायों के आधार पर सामाजिक भेदभाव का कारण बना। वंशानुगत व्यवसायों की प्रथा अंततः विभिन्न जातियों के रूप में समेकित हुई। बौद्ध धर्म के उदय ने कर्मकाण्डीय शुद्धता–अशुद्धता पर आधारित जातियों की पदानुक्रमित व्यवस्था पर गंभीरता से सवाल उठाया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के आधिपत्य को चुनौती दी। इस चुनौती का सामना करने के लिए, विभिन्न संस्कारों के समर्थन मनु ने वर्ण व्यवस्था की प्राचीन व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। मनु ने इस बात पर जोर दिया कि शूद्रों का मुख्य पेशा 'द्विज' लोगों–ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना था। आजादी के बाद, छुआछूत की प्रथा को रोकने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, बनाया गया था। 1976 में संशोधित, इसने अस्पृश्यता को एक संज्ञेय अपराध बना दिया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ संचालित योजनाः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ संचालित योजना निम्नलिखित हैः

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभ	मंत्रालय
1.	स्टैण्डअप इण्डिया योजना	स्टैण्डअप इंडिया योजना के तहत प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि वे एक नया उद्यम स्थापित कर सकें।	वित्त मंत्रालय
2.	अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वृद्धि गारण्टी योजना	अनुसूचित जातियों में नवाचार एवं विकास उन्मुख उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक और वित्तीय संस्थानों (MLIs) को समर्थन दिया जाता है। कार्यशील पूंजी, टर्म लोन या कंपोजिट टर्म लोन पर 0.15 करोड़ से 5 करोड़ तक गारंटी मिलती है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
3.	अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वेंचर कैपिटल फण्ड	पिछड़े वर्ग में नवाचारी व विकासात्मक उद्यमों हेतु रियायती वित्त प्रदान कर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाता है। महिला उद्यमिता, संपत्ति सृजन, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। पात्रता शेयरहोल्डिंग व प्रबंधन नियंत्रण पर आधारित है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
4.	अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता योजना	केंद्र व राज्य सरकारें अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए 49:51 अनुपात में पूंजी योगदान देती हैं। आर्थिक विकास, वित्तीय सहायता, क्रेडिट सुविधा, मार्जिन मनी, कम ब्याज ऋण, सब्सिडी, रोजगारपरक परियोजनाएँ (कृषि, छोटे उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवा) हेतु सहयोग मिलता है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC)	3 लाख वार्षिक पारिवारिक आय तक वाले अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों को आय सृजन की गतिविधियों हेतु ऋण, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं विपणन सहायता प्रदान करता है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
6.	विश्वविद्यालयों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग योजना	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) व अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोचिंग योजनाएं उच्च शिक्षा में समान अवसर प्रदान करती हैं। स्नातक/परास्नातक स्तर पर सुधारात्मक कोचिंग, सेवा प्रवेश, NET/SET की तैयारी की जाती है।	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
7.	अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक वर्ग छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना	आर्थिक तौर पर कमजोर अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उत्कृष्ट कोचिंग देकर उन्हें सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार या प्रतिष्ठित तकनीकी/प्रोफेशनल उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु तैयार किया जाता है।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

8.	अनुसूचित जाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शोधवृत्ति योजना	केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति छात्रों को एम.फिल एवं पीएचडी उच्च शिक्षा हेतु 5 वर्ष के लिए आर्थिक सहायता व अनुसंधान हेतु 2000 वार्षिक (3% दिव्यांग आरक्षित)।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
9.	अनुसूचित जाति छात्रों की योग्यता वृद्धि योजना	कक्षा 9 से 12 में अनुसूचित जाति छात्रों को सुधारात्मक एवं विशेष कोचिंग देकर उनकी योग्यता और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बढ़ाना उद्देश्य है।	कल्याण मंत्रालय
10.	अनुसूचित जाति छात्रों हेतु टॉप क्लास शिक्षा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति	निजी संस्थानों में 2 लाख तक प्रशिक्षण शुल्क व अन्य वापसी योग्य शुल्क का भुगतान, उड़ान क्लबों में 3.72 लाख तक, जीवन व्यय ? 3000/माह, पुस्तक एवं स्टेशनरी ? 5000/वर्ष, कंप्यूटर/लैपटॉप ? 45000 (एक बार)।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
11.	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY)	आयवृद्धि, गरीबी उन्मूलन, उद्यमिता, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा विकास आदि अनुसूचित जाति आबादी हेतु। लाभार्थी को अधिकतम रूपे 10,000 या ऋण का 50% सब्सिडी व राष्ट्रीय स्वरूप के तहत प्रशिक्षण। निगरानी व प्रशासनिक लागत के लिए राज्यों/संघषासित क्षेत्र को 3%/1% फंड आवंटन।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
12.	अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन बढ़ाने हेतु पोस्ट–मैट्रिक/पोस्ट–सेकेंडरी स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
13.	अनुसूचित जाति व अन्य के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	अनुसूचित जाति व कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावकों को प्री–मैट्रिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। एकीकृत भत्ता व दिव्यांग छात्रों को 10% अतिरिक्त भत्ता।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
14.	अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (NOS)	अनुसूचित जाति विमुक्त/अर्ध–विमुक्त जनजाति, भूमिहीन कृषि श्रमिक, परम्परागत शिल्पकार पूर्णकालिक उच्च शिक्षा हेतु मास्टर्स/पीएच.डी. करने विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
15.	हाईस्कूल में लक्षित क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (SHRESHTA)	स्वैच्छिक क्षेत्र व प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों की भागीदारी से अनुसूचित जाति वर्ग के कौशल उन्नयन, आयवर्धन व आर्थिक/शैक्षिक विकास हेतु शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करना।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

संवैधानिक एवं विधिक उपबंध

1. अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
2. अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
3. अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों, (अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू) के सदस्यों के दावों को लगातार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ ध्यान में रखा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक विशेष अधिकारी होगा"। इसके अनुसरण में, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया जाना

आवश्यक है। आयुक्त संविधान के तहत उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जॉच करता है।

4. अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। राजनीतिक आरक्षण की अवधि शुरू में दस साल के लिए कल्पना की गई थी। हालाँकि, इसे दस वर्षों के अंतराल पर बार–बार बढ़ाया गया है।
5. अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संघ का नियंत्रण।
6. अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार।
7. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है।
8. अनुच्छेद 23 मानवों के अवैध व्यापार और जबरन श्रम या 'बेगार' पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी जबरन मजदूरी का एक बृहद् रूप है और अधिकांश बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के हैं।
9. अनुच्छेद 25(2)(ख) अनुसूचित जाति को किसी भी सम्प्रदाय के सभी मंदिरों में प्रवेश प्रदान करता है।
10. अनुच्छेद 15(क) दुकानों, रेस्तरां, टैंकों, स्नान घाटों सड़कों सार्वजनिक सुविधा के स्थानों आदि तक पहुॅच के सम्बन्ध में किसी भी विकलांगता, प्रतिबंध या शर्त को हटाने का प्रावधान करता है।
11. अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थानों में स्थानों के आरक्षण, छात्रवृत्ति आदि के रूप अनुसूचित जातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विषेष प्रावधान करता है।
12. अनुच्छेद 29(2) सामान्य तौर पर, राज्य द्वारा अनुरक्षित शैक्षिक संस्थानों या राज्य निधियों से अनुदान प्राप्त करने वालों तक उनकी पहुंच की रक्षा करता है।
13. अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण प्रदान करता है जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।
14. अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचायेगा।
15. अनुच्छेद 164 बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के प्रत्येक राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान करता है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी बड़े पैमाने पर केन्द्रित है। अपने–अपने राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण।
16. अनुच्छेद 244 उन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के प्रावधानों को शामिल करने के लिए संविधान में पांचवीं अनुसूची को शामिल करने का प्रावधान करता है, जिनकी जनजातीय आबादी काफी अधिक है (असम को छोड़कर)।
17. अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष धनराशि प्रदान करने का प्रावधान करता है।

विधिक उपबन्ध

1. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013।
3. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995।
4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
5. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।
6. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन नियम 2011 के अनुसार दी जाने वाली धनराशि का विवरणः

क्रम सं	अपराध का नाम	प्रतिकर की न्यूनतम राशि
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए रूपये 60000.00 या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा– 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए। 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए।
2	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए रूपये 60000/– रूपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा– 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए। 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए।
3	अनादर सूचक कार्य	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए रूपये 60000/– रूपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा– 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए। 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए।

5	भूमि परिसर या जल से सम्बन्धित	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम रूपये 60000.00 या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्चे पर पुनः वापस की जाएगी। जब आरोप– पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।
6	बेगार या बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी	प्रत्येक पीड़ित को कम से कम रूपये 60000.00, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
7	मतदान के अधिकार के संबंध में	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रूपये 50000.00 तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।
8	मिथ्या द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही	रूपये 60000.00, या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।
9	मिथ्या या तुच्छ जानकारी	रूपये 60000.00, या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो।
10	अपमान, अभित्रास और अवमानना	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रूपये 60000.00 तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष–सिद्ध होने पर।
11	किसी महिला की लज्जा भंग करना	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को रूपे 120000.00
12	महिला का लैंगिक शोषण	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को रूपे 120000.00, चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।
13	पानी गन्दा करना	रूपे 250000.00, तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।

14	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना	रूपये 250000.00 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पुरा प्रतिकर 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।
15	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना	स्थल बहाल करना। ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को रूपये 60000.00 का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप–पत्र भेजा जाए।
16	मिथ्या साक्ष्य देना	कम से कम रूपये 250000.00 या उठाये गये नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप–पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।
17	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम रूपये 120000.00 यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट। अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।
18	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न	उठाई गयी हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाय, किया जाएगा।

19	निःशक्तता की परिभाषा निःषक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार. संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01.06.2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154. समय–समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी।	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम रूपये 250000.00, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप–पत्र पर और 25 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर।
20	हत्या/मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम रूपये 250000.00। 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचली अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमारी शैलजा ने 12 दिसंबर, 2013 को लोकसभा में पेश किया। विधेयक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने का प्रयास करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराध करने पर प्रतिबंध लगाता है और ऐसे अपराधों की सुनवाई और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष अदालतें स्थापित करता है।

अपराध माने जाने वाले कार्य

1. अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध (गैर–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा) किए गए कार्यों को अपराध माना जाएगा।
2. किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने या न देने के लिए विधि विरुद्ध तरीके से मजबूर करना। मतदान से सम्बन्धित कुछ गतिविधियों में बाधा डालना।
3. अनुसूचित जातियों या जनजातियों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करना। विधेयक इस संदर्भ में 'गलत' शब्द को परिभाषित करता है।
4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला पर हमला करना या उसका यौन शोषण करना अपराध माना जाएगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि:
   (क) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को उसकी सहमति के बिना जानबूझकर यौन रूप से छूना, या;
   (ख) यौन प्रकृति के शब्दों, कृत्यों या हाव–भावों का प्रयोग करना, या;
   (ग) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को किसी मंदिर में देवदासी के रूप में समर्पित करना, या इसी तरह की कोई भी प्रथा भी अपराध मानी जाएगी।

   सहमति को मौखिक या अशाब्दिक संचार के माध्यम से स्वैच्छिक समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है।

   विधेयक के अंतर्गत जोड़े गए नए अपराधों में शामिल हैं:
1. जूते–चप्पलों की माला पहनाना,
2. मानव या पशु के शवों को निपटाने या ले जाने के लिए मजबूर करना, या हाथ से मैला ढोने का काम करना,
3. सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से गाली देना,

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खिलाफ दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करना या किसी उच्च सम्मान वाले मृतक व्यक्ति का अनादर करना,
5. जादू–टोना करने के आरोप में शारीरिक नुकसान पहुंचाना, और
6. सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार लागू करना या धमकी देना।

अनुसूचित जातियों या जनजातियों को निम्नलिखित गतिविधियों को करने से रोकना अपराध माना जायेगाः

1. सामान्य सम्पत्ति संसाधनों का उपयोग करना;
2. किसी भी पूजा स्थल में प्रवेश करना जो जनमानस के लिए खुला है, और
3. किसी शिक्षा या स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश करना।

न्यायालय यह मान लेगा कि यदि अभियुक्त को पीड़ित या उसके परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी, तो अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान के बारे में जानकारी थी, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

लोक सेवकों की भूमिकाः अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई गैर–अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसे छह महीने से एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी। विधेयक के अन्तर्गत कर्तव्यों निम्नलिखित हैः

(क) शिकायत या प्राथमिकी दर्ज करना,

(ख) मौखिक रूप से दी गई जानकारी को पढ़कर सुनाना, सूचना देने वाले के हस्ताक्षर लेना और उसकी एक प्रति सूचना देने से पहले देना, आदि।

न्यायालयों की भूमिका

अधिनियम के अंतर्गत, जिला स्तर पर सत्र न्यायालय को अपराधों की त्वरित सुनवाई हेतु एक विशेष न्यायालय माना जाता है। इस न्यायालय में मामलों की पैरवी के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। विधेयक इस प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है और निर्दिष्ट करता है कि विधेयक के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर एक विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए। जिन जिलों में मामले कम हैं, वहाँ अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए कि मामलों का निपटारा दो महीने के भीतर हो जाए। इन न्यायालयों की अपीलें उच्च न्यायालय में होंगी और उनका निपटारा तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। प्रत्येक विशेष न्यायालय और विशिष्ट विशेष न्यायालय के लिए क्रमशः एक लोक अभियोजक और विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया जायेगा।

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों की सुरक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य सरकार पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना निर्दिष्ट करेगी। विधेयक के अंतर्गत स्थापित न्यायालय निम्नलिखित उपाय कर सकते हैंः

(क) गवाहों के नाम छिपाना;

(ख) पीड़ित, सूचनादाता या गवाह आदि के उत्पीड़न से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करना। ऐसी किसी भी शिकायत पर मुख्य मामले से अलग सुनवाई की जायेगी और दो महीने के भीतर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

निष्कर्ष

समग्र रूप से देखा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति भारत की संवैधानिक और नीतिगत प्रतिबद्धता दो स्तंभों पर आधारित है:

पहली, ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए आरक्षण, संरक्षण और विशेष योजनाएँ;

दूसरी, वर्तमान और भविष्य के लिए समान अवसर, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कठोर दंडात्मक और संस्थागत तंत्र।

फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विधियों के समुचित क्रियान्वयन में शिथिलता, सामाजिक मानसिकता में बदलाव की धीमी गति, प्रशासनिक उदासीनता, तथा आर्थिक कार्यक्रमों की जमीनी प्रभावशीलता पर प्रश्न आदि। अतः आवश्यकता इस बात की है कि संवैधानिक प्रावधानों और योजनाओं को केवल कागजी प्रतिबद्धता न रहने देकर, उन्हें पारदर्शी निगरानी, समयबद्ध न्याय, पीड़ित.केंद्रित प्रतिकर, और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के रूप में बदला जाए जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समान गरिमा, समान अवसर और वास्तविक सामाजिक.आर्थिक न्याय की संवैधानिक प्रतिज्ञा अर्थपूर्ण रूप से पूरी की जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. भारत का संविधान, विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2023।
2. अनुच्छेद 15, 16, 17, 23, 25(2)(ख), 29(2), 46, 244, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 338.क, 339, 342
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, तथा संशोधन नियम, 2011।
6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013।
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976।
8. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।
9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना संख्या 154 दिनांक 01.06.2001, निःशक्तता निर्धारण सम्बन्धी दिशानिर्देश।

****